सलग्नक - 8.b.1

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 11 मार्च, 2000 ई० (फाल्गुन 21, 1921 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना विज्ञापन इत्यादि।

### नोटिस

केन्द्रीय बिक्री कर (उ०प्र०) नियमावली, 1957 के नियम 8 के उपनियम-13 के प्राविधानों के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी व्यापारियों जिन्हें निम्नलिखित क्रमांकों के फार्म-सी व्यापार कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को केता व्यापारियों से भरे हुये प्राप्त हुए थे, से खो जाने/नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा :

| क्रम-सं० | व्यापारी का नाम व पता | खोये नष्ट हुये अथवा चोरी हुये | फार्म की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 |
| | सर्वश्री--- | | फार्म-सी |
| 1 | मूल चन्द्र, मुकश कुमार<br>बड़ी मंडी, हापुड़ | खोने के सम्बन्ध में | यू०प्र० टी० टी० सी-1998-<br>685046<br>685047<br>फार्म-सी |
| 2 | बंसल पब्लिशेंस प्रा० लि०<br>अन्सारी बाजार, स०पुर<br>एस० आर०-0258548 1-2-94<br>सी०एस०टी०-5147245 8-2-94 | उक्त | 947459 से<br>947461 तक |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | रु० |
| 4 | पोल होने पर भूमि के भीतर केबिल बिछाये जाने की दशा में (दूर-संचार) | 30.00 प्रतिवर्ष प्रति मी० |
| 5 | ट्रान्सफार्मर जमीन पर फाउण्डेशन बनाकर रखे गये हों (प्रति ट्रान्सफार्मर) | 3,000.00 प्रतिवर्ष |
| 6 | जो ट्रान्सफार्मर छोटे आकार के खंभों पर रखे हों (प्रति ट्रान्सफार्मर) | 2,000.00 प्रति वर्ष |
| 7 | दूरदर्शन की डिस्क (केबिल टी० वी०) के प्रयोजनार्थ | 3.00 प्रति मी० प्रति वर्ष |

दण्ड

उ० प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 (एक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस नियमावली उपविधि का उल्लंघन करने की दशा में अर्थदण्ड दिया जायेगा जो रु० 1,000.00 (एक हजार रुपये) तक का होगा। यदि ऐसा उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो अतिरिक्त दण्ड भी दिया जायेगा, जो पहले अपराध सिद्ध होने के दिनांक से प्रत्येक ऐसे दण्ड के लिए, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि अपराध जारी रहा हो तो 25.00 रु० प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, दिलदार नगर,
फत्तेहपुर बाजार,
गाजीपुर।

## नगर निगम, बरेली

संख्या: 468 डब्लू०डब्लू०-99-2000

दिनांक 21 फरवरी, 2000 ई०

नगर निगम, बरेली ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बरेली नगर निगम सीमान्तर्गत क्षेत्र में पूर्व प्रचलित नगर महापालिका, बरेली जल सम्भरण और जल मूल्य विनियमन नियमावली, 1986 के नियम संख्या 9, 10 एवं 16 में संशोधन कर जलमूल्य, मीटर किराया एवं शुल्कों में संशोधन किया है, जिसकी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रकाशित कराया गया। नियत अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 544 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे--

1--यह नियमावली नगर निगम, बरेली जल सम्भरण और जल मूल्य संशोधित नियमावली, 2000 कहलाई जायेगी।

2--इस संशोधित नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अतिरिक्त शेष नियम नियमावली, 1986 की उक्त नियमावली के अनुसार यथावत् लागू रहेंगे।

3--यह संशोधित नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

नियम संख्या 9 का संशोधन

| वर्तमान नियम प्रभावी | वर्तमान संशोधित नियम, जो प्रभावी के स्थान पर रखा गया है |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 9--(1) सभी जल संयोजनों को चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी मीटर द्वारा संयोजित किया जायेगा। मीटर की संरचना तथा निर्माण प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम द्वारा अनुमोदित होगा और मीटर महापालिका द्वारा दिये जा सकता है। इस प्रकार दिये गये मीटर का किराया महापालिका के निम्नलिखित दरों से देय होगा, जो परिव्यय के साथ मासिक रूप से देय होगा। | घरेलू प्रयोजन को छोड़कर अन्य सभी जल संयोजन चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी मीटर संयोजित किया जायेगा। मीटर की संरचना तथा निर्माण प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम द्वारा अनुमोदित होगा और मीटर नगर निगम द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रकार दिये गये मीटर का किराया नगर निगम को निम्नलिखित दरों से देय होगा। यदि मीटर उपभोक्ता द्वारा अपना निजी |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | मीटर क्रय करके लगाया जाता है तो मीटर लगाने से पूर्व निर्धारित जांच शुल्क जमा करवाकर नगर निगम से जांच करायी जानी आवश्यक होगा और उपभोक्ता का निजी मीटर होने की दशा में मीटर किराया नहीं लिया जायेगा। |

| मीटर का आकार | मीटर किराया की वर्तमान मासिक दर | मीटर का आकार | मीटर किराया की संशोधित दर |
|---|---|---|---|
| | रु० | | रु० |
| 15 मि०मी० | 2.00 | 15 मि०मी० | 3.00 |
| 20 मि०मी० | 2.50 | 20 मि०मी० | 5.00 |
| 25 मि०मी० | 4.00 | 25 मि०मी० | 8.00 |

9—(2) महापालिका हर समय जल मापक को ठीक हालत में रखेगी ताकि जल वितरण की मात्रा ठीक प्रकार से आंकी जा सके और यदि महापालिका ऐसा करने में असमर्थ होगी तो उपभोक्ता उतने समय के लिये जल मापक का किराया नहीं देगा जब तक जल मापक में खराबी रहती है।

नगर निगम हर समय जल मापक को ठीक हालत में रखेगा ताकि जल वितरण की मात्रा ठीक प्रकार से आंकी जा सके और यदि नगर निगम ऐसा करने में असमर्थ रहेगा और 15 दिवस से अधिक अवधि तक जल मापक खराब रहेगा तो उपभोक्ता उतनी अवधि के लिये जल मापक का किराया नहीं देगा जब तक जल मापक में खराबी रहती है। जल मापक के खराब रहने की अवधि के लिये मीटर चालू रहने की पूर्व एक वर्ष के जल उपभोग के औसत आधार पर जल उपभोग की गणना करके जल परिव्यय वसूला जायेगा।

नियम 10 का संशोधन :

| वर्तमान नियम प्रभावी | वर्तमान संशोधित नियम जो प्रभावी के स्थान पर रखा गया है |
|---|---|
| 10—(अ) नियम 11 के उपबन्धों के रहते हुये जल परिव्यय की दर निम्नलिखित होगी : | 10—(अ) घरेलू प्रयोजन पर मीटर प्रथा समाप्त करते हुये भवनों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर घरेलू उपयोग के लिये न्यूनतम जल प्रभार की प्रस्तावित दरें : |

| वर्तमान प्रचलित दर | | प्रति किलो० |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रु० |
| 1 | घरेलू प्रयोजन के लिये | 0.75 |
| 2 | महापालिका प्रयोजन के लिये | 0.75 |
| 3 | भवन निर्माण के लिये | 2.00 |
| 4 | गैर घरेलू प्रयोजन के लिये | 2.00 |

| क्र० सं० | भवनों का वार्षिक मूल्यांकन | | न्यूनतम जल प्रभार प्रतिमाह |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| | रुपये से | रुपये तक | रु० |
| 1 | शून्य | 360 तक | 20.00 |
| 2 | 361 से | 2,000 तक | 30.00 |
| 3 | 2,001 से | 3,500 तक | 40.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | रु० |
| 5 | शीतलाय वाटलिंग कम्पनी तथा आइस फैक्ट्री के प्रयोजन के लिये | 2.50 |
| 6 | होटल तथा जलपान गृहादि के प्रयोजन के लिये | 2.50 |
| 7 | फैरूल रेटिंग प्रतिमास 10 एम०एम० | 30.00 |
| | 15 एम० एम० | 40.00 |

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपभोक्ता बिल का भुगतान उसके प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर कर दे तो उन्हें 10% छूट दी जायेगी ।

ब--कटौतियां नगर महापालिका प्रत्येक मास में सम्मिलित जल के मूल्य में से नगरमहापालिका की सीमा में स्थित भवन या भूमि पर निर्धारित करके बारहवें भाग की कटौतिया करेगा ।

स--केवल घरेलू प्रयोजन के लिये जल संयोजन को सम्मारित जल का प्रयोग नगरमहापालिका की आज्ञा के बिना गैर घरेलू प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

द--यदि घरेलू और गैर घरेलू प्रयोजन के लिये अलग-अलग जल संयोजन देना सम्भव न हो तो नगरमहापालिका संयुक्त प्रयोजन के लिये मीटरयुक्त संयोजन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है । ऐसे मामलों में कर्ता निर्धारित जलकर के बारहवें भाग के बराबर घरेलू प्रयोजन की दर के हिसाब से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा और अधिक जल के प्रयोग पर गैर घरेलू दर के हिसाब से जल परिव्यय चुकता करना होगा ।

य--यदि कोई उपभोक्ता घरेलू जल संयोजन से गैर घरेलू प्रयोजन के लिए जल का उपयोग करते हुये पाया गया तो सम्यक् नोटिस देने के पश्चात् नगर अभि० (जल) को अधिकार होगा कि ऐसे जलसंयोजन से प्रयोग किए हुये जल

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | रु० |
| 4 | 3501 से 5000 तक | 50.00 |
| 5 | 5000 से अधिक | 60.00 |
| 6 | भवन जिनका वार्षिक मूल्यांकन नहीं हुआ है | 40.00 |

र--गैर घरेलू प्रयोजन के लिये प्रस्तावित जल प्रभार की दरें । मीटर प्रथा लागू रहेगी ।

| क्रम-संख्या | श्रेणी | दर प्रति किलो | न्यूनतम प्रतिमाह |
|---|---|---|---|
| | | रु० | रु० |
| 1 | (1) विशेष श्रेणी औद्योगिक प्रतिष्ठान होटल लॉज, डेरी, लान्ड्री, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन, गैराज औद्योगिक प्रतिष्ठान, बल्ब कारखाने, नर्सिंग होम ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान जहां पानी का प्रयोग सामग्री के रूप में होता है जैसे कोल्ड स्टोरेज, आईस फैक्ट्री, वाटलिंग प्लान्ट, केमिकल फैक्ट्री, बाग-बगीचे नर्सरी व सम्बद्ध समय पर अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान अस्थाई अ-घरेलू संयोजन जैसे टूरिंग, थियेटर, नाटक कम्पनी, सर्कस, टूर्नामेंट मेला, प्रदर्शनी आदि | 8.00 | 200.00 |
| | (2) रेस्टोरेन्ट सिनेमाघर, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान | 5.00 | 150.00 |
| | (3) क्र०सं० 1 (1) तथा (2) के अतिरिक्त सरकारी अर्द्धसरकारी | 4.00 | 100.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | परिव्यय को गैर घरेलू प्रयोजन की दर से चार्ज करें । | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | संस्थागत प्रतिष्ठान जैसे रेल परिवहन कार्यालय भवन आदि मान्टेसरी स्कूल, इंग्लिश स्कूल सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान | रु० रु० |
| (4) | एस० ई० एस० छावनी बोर्ड | 3.00 75.00 |
| | भवन निर्माण/परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्य के लिए | 6.00 प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र, फल अथवा नक्शा न होने की दशा में |
| | नोट:—भवन निर्माण पूरा होने पर तथा वार्षिक मूल्यांकन न होने तक कर निर्धारित रहित सम्पत्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रभार की दर से जल मूल्य वसूला जायेगा | मूलखण्ड के 70 प्रतिशत क्षेत्रफल पर रु० 20.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक-मुश्त संयोजन स्वीकृति के समय अग्रिम जमा कराया जायेगा । |

प्रावधान यह है कि यदि उपभोक्ता बिल का भुगतान उसके प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर कर दे तो, उन्हें बिल में अंकित वर्तमान देय जल मूल्य की धनराशि पर 10% छूट दी जायेगी । ऐसी छूट अवशेष धनराशि एवं मीटर किराया देय नहीं होगी ।

10—नगर निगम प्रत्येक साल में सम्भरित जल के मूल्य में से नगर निगम की सीमा में स्थित भवन या भूमि पर निर्धारित जलकल के बारहवें भाग की कटौतियां करेगा । यह फ्री एलाउन्स किसी भवन में एक या एक से अधिक संयोजन होने पर केवल एक जल संयोजन पर ही देय होगा अर्थात् एक असेसमेन्ट के विरुद्ध एक

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | |

संयोजन पर ही जलकर की छूट अनुमन्य होगी किरायेदार अथवा अध्यासी के रूप में जल संयोजन होने पर जलकर की छूट अनुमन्य नहीं होगी ।

(द) घरेलू संयोजन मीटर विहीन होंगे किन्तु गैर घरेलू संयोजनों पर वाटर मीटर स्थापित किये जायेंगे । गैर घरेलू संयोजन पर मीटर रीडिंग के अनुसार आगणित जल मूल्य व न्यूनतम जल प्रभार में जो भी धनराशि अधिक होगी वसूली की जायेगी ।

(ध) घरेलू प्रयोजन के लिये जल संयोजनों को सम्मरित जल का उपयोग नगर निगम की आज्ञा के बिना गैर घरेलू प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा यदि कोई उपभोक्ता घरेलू जल संयोजन से गैर घरेलू प्रयोजन के लिये जल का उपयोग करते पाया गया तो सम्यक् नोटिस देने के पश्चात् नगर अभि० (जल) को अधिकार होगा कि ऐसे जल संयोजन से प्रयोग किये गये जल परिव्यय को गैर घरेलू प्रयोजन की दर से चार्ज करें और घरेलू संयोजन को गैर घरेलू संयोजन में नियमानुसार परिवर्तित करा दें ।

(य) पानी की बर्बादी एवं जल प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से उपभोक्ता के निजी जल संयोजन में होने वाली लीकेज की मरम्मत फौरन से उसके भवन के बाहर अर्थात् निगम की सड़क की सीमा तक नगर निगम द्वारा इस प्रतिबन्ध पर करायी जायेगी कि श्रमांश का व्यय निगम वहन करेगा तथा मरम्मत में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा । रु० 2.00 प्रतिमाह प्रति संयोजन की दर से उपभोक्ता से सर्विस चार्ज लिया जायेगा ।

(र) प्रस्तावित दरों में प्रत्येक वर्ष की एक अप्रैल को स्वतः ही 5% की दर से वृद्धि हो जायेगी ।

नियम सं० 16 का संशोधन

वर्तमान नियम प्रभावी

उ० प्र० महापालिका वाटर सप्लाई के नियम (3) के निर्देशों के लिये परिव्यय निम्नलिखित दर से लिया जायेगा :

| | रु० |
|---|---|
| 1—जल संयोजन या पुनः संयोजन के पर्यवेक्षण के लिये | 10.00 |

वर्तमान संशोधित नियम जो वर्तमान प्रभावी के स्थान पर रखा गया है :

| | रु० |
|---|---|
| 1—जल संयोजन या पुनः संयोजन के पर्यवेक्षण के लिये | 50.00 |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | रु० | | | रु० |
| | 2—जल संयोजन काटने के लिए | 10.00 | | 2—जल संयोजन काटने के लिये | 50.00 |
| | 3—मीटर जांच के लिए | 10.00 | | 3—मीटर जांच के लिये | 20.00 |
| | 4—आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क | 5.00 | | 4—आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क | 50.00 |
| | 5—अन्य कार्य | वास्तविक व्यय का 10 प्रतिशत | | 5—अन्य कार्य | वास्तविक कार्य का 15 प्रतिशत |
| | | | | 6—संयोजन पुनः जोड़ने के लिए | 50.00 |
| | | | | 7—परिवर्तन/परिवर्द्धन शुल्क | 50.00 |
| | | | | 8—संयोजन का नाम परिवर्तन शुल्क | 50.00 |

आर० सी० पाठक,
मुख्य नगर अधिकारी;
नगर निगम, बरेली ।

**Notice**

**Change of Name**

I, Dr. Radhe Shyam son of Shri Pragas Ram resident of 92H/3 New Sohbatiyabagh Allelelrd, I have fully changed my name from Dr. Radhe Shyam to Dr. Samarat Shekhar Pratap Singh and am called by the name of Dr. Samarat Shekhar Pratap Singh.

10-2-2000.

Dr. Samarat Shekhar Pratap Singh
Alias Dr. Radhe Shyam,
92H/3, New Sohbatiyabagh, Allahabad.

पी० एन० यू० पी०—50 हिन्दी गजट—भाग-8—2000 ई० ।

मुद्रक और प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।